

अकादमी में वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण सूचना हेतु महत्वपूर्ण तिथियां

1	पंजीकरण आवेदन (वेबसाइट पर) जारी करने की तिथि दिनांक 13.06.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे
2	पंजीकरण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.06.2024 अपरान्ह 12:00 बजे
3	पंजीकरण आवेदन खोले जाने की तिथि दिनांक 28.06.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोले

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
घोड़ाखाल रोड, भवाली जिला –नैनीताल, पिन कोड – 263132
अकादमी में वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण सूचना

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में विविध विषयों की विभिन्न पुस्तकों के क्रय हेतु प्रतिष्ठित प्रकाशकों के अधिकृत विक्रेता/विक्रेता फर्मों का 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017' के अनुसार पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मों के पंजीकरण पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रकाशकों, प्रकाशकों के अधिकृत विक्रेता/विक्रेता फर्म अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं:—

1. फर्म का नाम –

2. फर्म का पता –

3. दूरभाष/मोबाइल संख्या –

4. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) सम्बन्धी पंजीकरण पंजीकरण संख्या –

5. आयकर विभाग का पैन (PAN) –

6. विभिन्न राजकीय कार्यालयों/उपक्रम के पुस्तकालयों में कार्य करने का अनुभव –

7. फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों का प्रकाशकवार विवरण :—

क्रम संख्या	प्रकाशक का नाम तथा पता	अकादमी द्वारा वांछित पुस्तकों, बेयर एक्ट्स तथा लॉ जर्नल के बैक वाल्यूम्स की आपूर्ति हेतु पुस्तकों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट (प्रतिशत में) (भारत से बाहर के प्रकाशकों पर दी जाने वाली छूट का भी प्रतिशत में स्पष्ट उल्लेख करें)
1	Alia law agency, Lucknow	
2	All India Reporter, Nagpur	
3	Asia Law House	
4	Ashoka Law House, New Delhi	
5	Allahabad law Publications, Allahabad	
6	Back Volumes Foreign journals	

7	Back Volumes Indian journals	
8	Bare Act from all publisher	
9	Bharat Law House	
10	Cambridge University Press, Indian	
11	Central Law Agency, Allahabad	
12	Delhi Law House	
13	Eastern Book Co., Lucknow	
14	Eastern Book Co., Kolkata	
15	Ekta Law Agency, Allahabad	
16	Hind Publication House, Allahabad	
17	India Law House, Delhi	
18	Kamal Law House, Kolkata	
19	Law Publisher, Allahabad	
20	Law Publishing House, Allahabad	
21	Lexis-Nexis	
22	Manav Law House, Allahabad	
23	Modern Law House, Allahabad	
24	On Govt./NGO Publication	
25	Orient Pub. Co., Allahabad	
26	Oxford, India	
27	Penguin	
28	Premier Pub. Co., Allahabad	
29	Routledge India, New Delhi	
30	Random House	
31	Hay House	
32	Sage	
33	Swami Publication	
34	Sweet and Maxwell, India	
35	Universal Law Publishing Company, Delhi	
36	Universal Law Publishers, Allahabad	
37	Indian Law Publications Not mentioned above	
38	Indian Publications General (general reading and non legal subjects)	
Foreign Publication		
39	Butterworth Lexis-Nexis, UK	
40	Cambridge University Press, USA	
41	Oxford University Press, UK	
42	Random House Group	
43	Routledge - Cevendish, USA	
44	Taylor and Francis, UK	

46	Walter Kluwers	
47	West Pub. Ltd., USA	
48	Foreign legal publication not mentioned above	
49	Foreign General publication not mentioned above (general reading and non legal subjects)	

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मुहर ”

नियम एवं शर्तें

- I. अकादमी में पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 31, मार्च 2025 तक के लिए मान्य है।
- II. पूर्ण रूप से भरे हुए पंजीकरण आवेदन दिनांक 13.06.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28.06.2024 को अपरान्ह में 12:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर अकादमी कार्यालय **उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी घोड़ाखाल रोड, भवाली जिला – नैनीताल, पिन कोड – 263132** में व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा जमा किये जा सकते हैं। पंजीकरण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.06.2024 अपरान्ह 12:00 बजे तक है। पंजीकरण आवेदन दिनांक 28.06.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोले जायेंगे।
- III. फर्म का अपना पैन (PAN) हो अथवा वस्तु सेवा कर (जी.एस.टी.) सम्बन्धी पंजीकरण हो। उक्त के संबंध में समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।
- IV. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आदर्श स्थिति में, अकादमी द्वारा निर्गत कार्यादेश प्राप्त किये जाने के उपरान्त 10 दिन के भीतर वांछित पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति अकादमी में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि, अपरिहार्य आपात स्थितियों में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा को पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति अकादमी में 05 दिन के भीतर की जायेगी।
- V. अकादमी द्वारा वांछित पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति अकादमी तक किये जाने हेतु कोई अतिरिक्त शूलक/भाड़े का भुगतान अकादमी द्वारा नहीं किया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति अपने व्यय पर अकादमी में की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति के दौरान सामग्री को सावधानीपूर्वक अकादमी में उतारना सुनिश्चित किया जायेगा।
- VI. पुस्तकें कटी-फटी अवस्था में न हों, उनके पृष्ठ सही क्रम में हों। पुस्तक/पुस्तकें में किसी प्रकार का दोष होने पर पुस्तक/पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेंगी तथा फर्म को अपने व्यय पर पुस्तक/पुस्तकें वापस लेनी होगी व उसके स्थान पर उस पुस्तक/पुस्तकें की नई प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- VII. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकरण आवेदन में पत्र के अनुसार वांछित पुस्तकों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट (प्रतिशत में) अंकित की जायेगी। तदनुसार किसी

- एक प्रकाशक पर फर्म द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) पर अधिकतम छूट देने वाली फर्म को वांछित पुस्तकों हेतु क्रय आदेश निर्गत किये जा सकते हैं।
- VIII. आपूर्तिकर्ता फर्म को आदर्श स्थिति में पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा यद्यपि अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब हो सकता है। आपूर्तिकर्ता फर्म सुनिश्चित कर लें कि यदि अपरिहार्य कारणवश अकादमी स्तर से भुगतान में विलम्ब होता है, उस स्थिति में अकादमी को पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति किये जाने का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।
- IX. अकादमी द्वारा पंजीकृत प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के उपरान्त वांछित पुस्तक/पुस्तकों की आपूर्ति के संबंध में उपरोक्त शर्तों के अनुसार किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अकादमी की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं नहीं दिये जाने पर फर्म को कार्य से हटा दिया जायेगा और कार्य का अवसर दोबारा नहीं दिया जायेगा।
- X. किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बरतने पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी का होगा।
- XI. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म यदि पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करने अथवा पुस्तक/पुस्तकों की समय से आपूर्ति करने में असफल रहती है अथवा निर्धारित पुस्तक/पुस्तकों की सामग्री की आपूर्ति करती है अथवा कोई गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करती है तो उसे आपूर्तिकर्ता की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।
- XII. आपूर्तिकर्ता फर्मों का पंजीकरण 01 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा, किसी विवाद की स्थिति में अकादमी के निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा।
- XIII. पंजीकरण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.06.2024 अपरान्ह 12:00 बजे है। पंजीकरण आवेदन दिनांक 28.06.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोले जायेंगे। विस्तृत पंजीकरण सूचना व आवेदन के प्रारूप **नियम एवं शर्तों** को अकादमी की वेबसाइट <http://www.ujala.uk.gov.in> पर प्राप्त किया जा सकता है।
-